

ORDER SHEET 1319-2015Rct

THECOURT-----

| Date of order of proceeding | Order or proceeding with singnature of presiding officer | Singnature of parties or pleaders where necessary |
|-----------------------------|---|---|
| 13-01-17 | <p>राज्य द्वारा एडीपीओउप0 आरोपीगण सहित अधि0श्री एस0एस0श्रीवास्तव उप0 प्रकरण अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत है। आज दिनांक को फरियादी जुगन उप0 इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा व्यक्त किया गया कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं आज दिनांक को फरियादी जुगन उप0 है उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि वह प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं। चूंकि उभयपक्ष प्रकरण का निराकरण मीडिएशन के माध्यम से कराना चाहते हैं अतः उक्त प्रकरण मीडिएशन की कार्यवाही हेतु श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में भेजा जाता है। इस संबंध में रिफरल ऑर्डर जारी किया जावे।</p> <p>उभयपक्ष को निर्देशित किया जाता हैकि प्रशिक्षित मीडिएटर श्रीमान द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय गोहद के न्यायालय में उप0हो।</p> <p>प्रकरण मीडिएशन रिपोर्ट हेतु चायकाल पश्चात पेश हो।</p> <p>जे0एम0एफ0सी0</p> <p>पुनश्च—</p> <p>पक्षकार पूर्ववत मीडिएशन रिपोर्ट प्राप्त जिसे अभिलेख के साथ संलग्न किया गया।</p> <p>इसी प्रक्रम पर उभयपक्षों द्वारा द0प्र0स0की धारा 320 (2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसे अभिलेख पर लिया गया। फरियादी जुगन की पहचान अधि0श्री ओ0पी0शर्मा द्वारा की गई है।</p> <p>राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रकरण के अवलोकन से दर्शित हैकि आरोपी गपोचे उर्फ राजू,बॉबी,रूप कुमार उर्फ बडेलला के विरुद्ध भादस की धारा 294,323 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत आरोप विरचित किये गये हैं। उक्त धाराये न्यायालय की अनुमति से राजीनामा योग्य है फरियादी जुगन ने आरोपीगण से स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना</p> | |

| | | |
|--|--|--|
| | <p>व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतःवाद विचार राजीनामा आवेदन स्वीकार किया गया एवं उभयपक्षों को राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की गई। राजीनामा के आधार पर आरोपी रूपकुमार उर्फ बडेलला, गपोचे उर्फ राजू एवं बॉवी को भादस की धारा 294, 323 एवं 506 भाग-2 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।</p> <p>आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है उनके जमानत मुचलके भारहीन किये गये।</p> <p>प्रकरण मे जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नहीं हैं।</p> <p>प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">सही/- प्रतिष्ठा अवस्थी जे.एम.एफ.सी. गोहद</p> | |
| | | |
| | | |
| | | |